09/05/18 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य राजस्व कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली आतारीखानुसार दिनांक 16.05.18 को पेश हो।

16.05.18 पत्रावली आज लोक अदालत कैम्प कोर्ट शहर में पेश हुई। जिसमें दोनों पक्षों को सुना गया। सायल ने अपने पक्ष में निवेदन किया कि गैरसायलान को अरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस प्रकार पाबन्द फरमाया जावे कि वे तफसीला दावा भूमि ख.नं. 121 रकबा 3.37 हे., 122 रकबा 2.32 हे., स्थित ग्राम शहर में किसी भी प्रकार का कोई कृषि कार्य नहीं करे एवं नाही किसी दिगर जगह / व्यक्ति को उक्त खसरा नम्बरान का रहन-बयान ना करावे। इस पर गैरसायलान से अपना पक्ष रखने को कहा किन्तु गैरसायल द्वारा किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया जिस पर गैरसायल का जवाब नंद माना जाकर सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं सुसंगत विधि को देखा जाकर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रथमदृष्टया केस व सुविधा का संतुलन अपूरणीय क्षति तीनों बिन्दु सायल के पक्ष में पाये जाना प्रतीत होता है। अतः गैरसायलान विरुद्ध प्रा० पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती

फर्द अहकाम

अन्तर्गत धारा 212 RTACT स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे सायल के कब्जेकाश्त में दखलान्दाजी नहीं करे एवं उक्त खसरा नं. 121, 122 स्थित ग्राम शहर का रहन-बयान न करे। पत्रावली फैसल शुमार मानी जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर शामिल वाद रहे।

फैसला आज दिनांक 16.05.18 को लोक अदालत कैम्प ग्रा.पं. शहर में सुनाया गया।

महेन्द्र सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
कोर्ट कैम्प ग्रा.पं. शहर